72 (प.क.) दिनांक 19/01/2007

बिहार सरकार

स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग

संकल्प

विषय- जेनेरिक (Generic) **दवाएँ** Prescribe **करने के संबंध में**

महाशय,

बाजार में दवाएँ जेनेरिक (Generic) एवं ब्रांडेड (Branded) समूहों में मिलते हैं। इनके मूल्य में काफी अंतर होता है। ब्रांडेड दवाएँ लिखे जाने के निम्नांकित दुष्परिणाम हैं :-

(क) दवा कंपनियों द्वारा अधिक दाम पर दवायें बेची जाती हैं।

(ख) निर्माण/थोक मूल्य और खुदरा मूल्य में काफी अंतर होता है ताकि खुदरा बिक्रेताओं को काफी मुनाफा मिले।

(ग) वैसी दवाईयाँ भी कभी-कभी Presecribe हो जाती हैं जिसकी शायद बहुत आवश्यकता नहीं हो ताकि एक विशिष्ट ब्रांड की अधिक बिक्री हो (Ploy pharmacy)।

(घ) उपरोक्त कारणों से ही कम दिनों की आवश्यकता होने के बावजूद भी अधिक दिनों तक के लिए दवा प्रेसक्राईब किये जाते हैं Side effect स्वाभाविक है।

(2) इस परिप्रेक्ष्य में राज्य की जनता को उचित मूल्य पर दवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) सभी सरकारी चिकित्सकों को निदेशित किया जाए कि वे जेनरिक (Generic) दवायें ही यथासंभव प्रेसक्राईब (Prescribe) करें और यदि वे बिना आवश्यकता के ब्रांडेड दवा प्रेसक्राईब करेंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) राज्य सरकार की ओर से एक अपील सभी निजी चिकित्सकों को जनहित में जारी की जाए कि वे यथासंभव जेनरिक दवाएँ ही प्रेसक्राईब करें।

(ग) एक प्रचार अभियान शुरू किया जाए, जिसमें इन दोनों दवाओं के बारे में जानकारी दी जाए और आमलोगों को भी सूचित किया जाए कि वे भी चिकित्सकों से परामर्श लेते समय उनसे जेनरिक दवाएँ लिखने के लिए अनुरोध करें।

(घ) सभी दवा स्टॉकिस्ट को भी राज्य सरकार की ओर से यह निदेश एवं अनुरोध किया जाएगा कि जेनरिक दवाओं की मांग में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

(ग) सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक चरण में जेनरिक दवाओं की दूकानें राज्य सरकार के संकल्प संख्या 354 (1) दिनांक 08.04.06 के आलोक में स्थापित करने की कार्रवाई राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा की जाए।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। साथ ही राजपत्र की 500 प्रतियाँ इस विभाग को भेजी जाय।

ह./-

(जमीरुद्दीन अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प.-03-01/2007-72 (प.क.) **पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2007**

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी जिलाकिधारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव